

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. F(E)I/2020/AL-28/11

New Delhi, dated: 06.04.2021

The General Manager,
Northern Railway,
New Delhi.

Sub: Delegation of powers to Air Travel in connection with Final Location Survey of Bilaspur-Manali-Leh, new BG Line.

Ref: Your letter No. 176-W/Survey & Construction/TKJ dt. 15.03.2021.


In terms of Board's letter No. F(E)I/2018/AL-28/37 dated 06.06.2018 on the subject, the power to permit Air Travel in connection with Final Location Survey of Bilaspur-Manali-Leh, new BG Railway Line was delegated to CAO/C-II/NR as a special case for period upto 31.03.2019. Currency of this arrangement was last extended upto 31.03.2021 vide Board's letter of even number dated 19.06.2020.

It has now been decided to extend the currency of this re-delegation of power for a period of one year beyond 31.03.2021 i.e. upto 31.03.2022 or till the completion of the FLS work of Bilaspur-Manali-Leh project; whichever is earlier.

The other provisions of letter No. F(E)I/2018/AL-28/37 dated 06.06.2018 will remain unchanged.

JTK
06/04/21

(Jitendra Kumar)
Dy. Director Finance Estt.I
Railway Board
e-mail ID- jitendrak.rb@gov.in
Room No.445 / 4th Floor



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.एफ(ई)-I/2020/एएल-28/11

नई दिल्ली, दिनांक: 06.04.2021

महाप्रबंधक,
उत्तर रेलवे,
नई दिल्ली।

विषय: बिलासपुर-मनाली-लेह नई बड़ी आमान रेल लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के संबंध में हवाई यात्रा के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।
संदर्भ: उत्तर रेलवे का दिनांक 15.03.2021 का पत्र सं.176/डब्ल्यू/सर्वे एंड कन्सट्रक्शन/टीकेजे।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई बड़ी आमान रेल लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के संबंध में 31.03.2019 तक हवाई यात्रा की अनुमति देने के लिए, बोर्ड के दिनांक 06.06.2018 के पत्र सं.एफ(ई)-I/2018/एएल-28/37 के अनुसार एक विशेष मामले के रूप में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-I/उत्तर रेलवे को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। इस व्यवस्था की अवधि बोर्ड के दिनांक 19.06.2020 के समसंख्यक पत्र के तहत पिछली बार 31.03.2021 तक बढ़ाई गई थी।

अब शक्तियों के प्रत्यायोजन की इस अवधि को 31.03.2021 से अगले एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31.03.2022 या बिलासपुर-मनाली-लेह परियोजना के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

दिनांक 06.06.2018 के पत्र सं.एफ(ई)-I/2018/एएल-28/37 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।



(जितेन्द्र कुमार)

उप निदेशक, वित्त (स्थापना)-I

रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी- jitendrak.rb@gov.in

कमरा नं.445/चौथा तल